तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
23-07-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली आज आदेश सुनाये जाने हेतु पेश हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नाचोरी (कुम्बी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 2022 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 31.05.2022 श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

कमलेश उर्फ रमेश चन्द दत्तक पुत्र बिसना जाइन्दा पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी मोहल्ला रामनगर, वार्ड नम्बर 06, गुढा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1. प्रियंका मीना पत्नी मनोज कुमार निवासी फ्लेट नम्बर 213, विजयवीर आवास योजना सेक्टर–18ए, द्वारका अम्बाबारी दिल्ली।
2. बच्चू सिंह मीना पुत्र जागराम जाति मीना, साकिन निवासी अरनिया, सवाई माधोपुर तहसील एवं जिला सवाईमाधोपुर, राजस्थान।
3. राजन्ती पत्नी बच्चू सिंह जाति मीनाा निवासी अरनिया, सवाई माधोपुर तहसील एवं जिला सवाईमाधोपुर, राजस्थान।
4. कफीलुद्दीन खां पुत्र बलीमुद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी–2625, कांवटियों का खुर्रा फकीर बादशाह मोहल्ला, जयपुर(मृतक दौराने वाद नाम हजफ)
5. गाजिया खानम पुत्री बलीमुद्दीन खां जाति मुसलमान
6. तशकीलुद्दीन पुत्र बलीमुद्दीन खां जाति मुसलमान
7. रहनुमा खान पुत्री बलीमुद्दीन खां जाति मुसलमान
8. सहिबा बेगम पत्नी बलीमुद्दीन खां जाति मुसलमान समस्त निवासीयान मकान नम्बर 2625, कांवटियों का खुर्रा फकीर बादशाह मौहल्ला रामगंज, जयपुर।
9. कलीमुद्दीन पुत्र नसीमुद्दीन
10. जकीया पुत्री नसीमुद्दीन
11. जरताब खानम पुत्री नसीमुद्दीन
12. बसीमुद्दीन पुत्र नसीमुद्दीन जातियान मुसलमान, निवासी सवाईमाधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ताः– 1. श्री सुरेश कुमार वर्मा (एडवोकेट प्रार्थी)

2. श्री आर0के0 मिश्रा (एडवोकेट अप्रार्थिगण 1ता 12)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

1/5
P.T.O

दिनांकः– 23.07.2024

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुढा पटवारा हल्का गुढा भू0अ0नि0 हल्का सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ की आराजी खसरा संख्या 312 रकबा 0.92है0 व खसरा संख्या 333 रकबा 1.18है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.10है0 साबिक खसरा 21/201 कुल रकबा 146बीघा 12बिस्वा मिन से कायम किए गये है। उक्त साबिक खसरा आराजी माफी सम्वत् 2011 से 2014 में जागीर हमीद खां पुत्र वजीर खां की जागीर थी जो राज्य सरकार के आदेशानुसार सम्वत् 2015 में खालसा कर दी गई और तत्पश्चात् उक्त आराजी सिलिंग के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित हो गई। उक्त गत खसरा संख्या 21/201 की सिलिंग में गई 7 बीघा भूमि सीलिंग अधिकारी द्वारा दिनांक 18.06.1981 को प्रार्थी को आवंटित कर दी गई जिसके दौराने हाल सेटलमेंट सम्वत् 2041 से 2060 में नया खसरा संख्या 312 व 333 बनाये गया। जिस पर प्रार्थी का आवंटन के बाद से काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी ने 312 खसरा संख्या में कुआ बनाकर विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा अपनी कब्जे काश्त की भूमि की सिंचाई करता है। उक्त वाद विषयक आराजी पर अप्रार्थिगण 1 ता0 12 का कोई लेना देना नहीं है किन्तु दिनांक 01.05.2022 को अप्रार्थी सं 1 ता 3 अपने कुछ परिचित लोगो के साथ आये एवं अवगत करवाया गया कि उन्होनें यह जमीन खरीद ली है और कब्जा करके ही रहेंगे या तो आप राजीखुशी जमीन खाली कर हमे सम्भला दो वरना हम लठ के जोर पर मारपीट कर कब्जा हासिल कर लेंगे इसलिए प्रार्थी प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की जानकारी की तो उक्त आराजी अप्रार्थिगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड मिली जबकी उक्त आराजी प्रार्थी को सक्षम अधिकारी सिलिंग अधिकारी द्वारा दिनांक 18.06.1981 को आवंटित की गई है जिस पर प्रार्थी बहैसियत आवंटी आवंटन के बाद पटवारी हल्का द्वारा कब्जा दिये जाने के दिन से काबिज काश्त चला आ रहा है। यदि आप्रार्थिगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थिगण प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं आवंटनशुदा भूमि से महरूम कर कब्जा लठ के जोर प्राप्त कर प्रार्थी को बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप संभव नहीं होगी। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थिगण को ता फैसला मूल वाद तक वाद विषयक आराजी पर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 का पेश कर मृतक अप्रार्थी सं 4 कफीलुद्दीन का वारिसान अप्रार्थी सं 6 जो उसका भाई है को मृतक के स्थान पर राईट सरवाई माना जावे। प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2022 से स्वीकार किया जाकर पत्रावली में संशोधित शीर्षक पेश हुआ। अप्रार्थी सं 1 ता 3 ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त वाद विषय भूमि सम्वत् 2015

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

2/5
P.T.O

में खालसा नहीं गई थी तथा ना ही कभी सिलिंग में राज्य सरकार में निहित की गई है। समस्त तथ्य मनगढंत व असत्य है। सम्वत् 2015 में जागीर रिजूम के पश्चात् यह भूमि खातेदार काश्तकार हमीद के खाते में दर्ज की गई तथा हमीद की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि उनकी पत्नी सुगरा के नाम दर्ज हुई। सुगरा की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई इस प्रकार उक्त जमीन अप्रार्थिगण को विरासत में मिली है जिसका नामांतकरण ना0सं0 614 दिनांक 05.11.2012 को खुल चुका है। उक्त जमीन का गत खसरा संख्या 21/201 में से 7 बीघा भूमि सिंलिग अधिकारी द्वारा दिनांक 18.06.1981 या अन्य दिन किसी भी सायल को आवंटित नहीं हुई है। हाल सेटलमेंट सम्वत् 2041 में नये खसरा संख्या 312 व 315 बनाना स्वीकार है। कुआं अप्रार्थी सं 5 ता 12 के कब्जे में रहा है जो उनके पूर्वजो द्वारा बनाया गया है। प्रार्थी ने फर्जी आवंटन के कागज विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया है जो हटाये जा चुके है। प्रार्थी के पूर्वज अप्रार्थिगण के जमीन खरीदने से पूर्व अप्रार्थी सं 5 ता 12 के यहा जैली द्वारा पाती पर काश्त करते रहे है जिससे उनको प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि प्राप्त करते थे उससे प्रार्थी को कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी की नियत में बेईमानी आ गई जिससे वे झूठें मुकदमे कर रहे है। आवंटन बाबत् तथ्य इस बात से भी गलत साबित है कि यदि भूमि सिलिंग की है तो आवंटी के नाम गैर खातेदारी अथवा खातेदारी तत्काल दर्ज की जाती, आवंटन का कोई नोट भी दर्ज नहीं है। उक्त भूमि पर भी ओमप्रकाश जैली वगैरहा ने अपना नाम दर्ज करवा लिया था जिसका मुकदमा सं 44/2013 माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.07.2021 को निर्णित किया गया है। प्रार्थी का नाम तो जैली या अन्य किसी भी रूप में दर्ज नहीं रहा है। यह पूर्णतया गलत है कि दिनांक 01.05.2022 को गैरसायलान ने कोई धमकी दी हो। अप्रार्थिगण ने यह जमीन दिनांक 13.11.2021 को अप्रार्थिगण 5 ता 12 से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है और तब से ही खातेदार काबिज काश्त है। प्रार्थी ने दस्तावेजों की फर्जी फोटोकॉपी बनाकर दावा पेश किया है। भूमि खरिदने की जानकारी प्रार्थी को है तो उसने विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया अपितु राजस्व न्यायालय में वाद दायर किया जिसका श्रवणाधिकार न्यायालय को नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद वैध कब्जे के अभाव में घोषणा का दावा चलने योग्य नहीं है तथा रिकॉडेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं 4 ता 8 व 10 ता 12 ने पृथक से जवाब पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थिगण 1 ता 3 के जवाब प्रार्थना पत्र को सही साबित करते हुए जवाब में अकिंत तथ्यों का दोहराव किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली में उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया उक्त आराजी प्रार्थी को सक्षम सिलिंग अधिकारी द्वारा दिनांक 18.06.1981 को आवंटित की गई है जिस पर प्रार्थी बहैसियत आवंटी आवंटन के बाद पटवारी हल्का द्वारा कब्जा दिये जाने के दिन से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा होने एवं उक्त

उपखण्ड अधिकारी
मारोठ (कुचेरा)

आराजी के गत खसरा संख्या 21/201 में 8 बीघा 10 बिस्वा जमीन प्रार्थी को आवंटित होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिगण को ता फैसला मूल वाद तक वाद विषयक आराजी पर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थिगण 1 ता 3 व 4 ता 8 व 10 ता 12 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा गलत एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में झूठा दावा पेश किया है। उक्त जमीन का गत खसरा संख्या 21/201 में से 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि सिंलिग अधिकारी द्वारा दिनांक 18.06.1981 या अन्य दिन किसी भी सायल को आवंटित नहीं हुई है। कुआं अप्रार्थी सं 5 ता 12 के कब्जे में रहा है जो उनके पूर्वजो द्वारा बनाया गया है। प्रार्थी ने फर्जी आवंटन के कागज विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया है जो अवैध सिद्ध होने से वर्तमान में हटाया जा चुका है। अप्रार्थी सं 1 ता 3 ने यह जमीन दिनांक 13.11.2021 को अप्रार्थिगण 5 ता 12 से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है और तब से ही खातेदार काबिज काश्त है। अप्रार्थिगण अधिवक्ता द्वारा एक तर्क दिया गया कि आवंटन बाबत् तथ्य इस बात से भी गलत साबित है कि यदि भूमि सिलिंग की है तो आवंटी के नाम गैर खातेदारी अथवा खातेदारी तत्काल दर्ज की जाती, आवंटन का कोई नोट भी दर्ज नहीं है। उक्त भूमि पर भी ओमप्रकाश जैली वगैरहा ने अपना नाम दर्ज करवा लिया था जिसका मुकदमा सं 44/2013 माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.07.2021 को निर्णित किया गया है। प्रार्थी का नाम तो जैली या अन्य किसी भी रूप में दर्ज नहीं रहा है। प्रार्थी के पूर्वज अप्रार्थिगण के जमीन खरीदने से पूर्व अप्रार्थी सं 5 ता 12 के यहा जैली द्वारा पाती पर काश्त करते रहे है उससे प्रार्थी को कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। अप्रार्थिगण उक्त वाद विषयक भूमि के रिकॉडेड खातेदार है उनके के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी ने वाद पत्र अवैध कब्जे के आधार पर दायर किया है जिससे वाद खारिज होने योग्य है। अप्रार्थिगण अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013(1) आर.आर.टी. 123, 2015(1) आर.आर.टी. 633 पेश किए। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थिगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र, न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 वाद विषयक कृषि भूमि वाके ग्राम गुढा भू0अ0नि0 सुमेरगजमण्डी के खाता संख्या 188 के खसरा संख्या 315 रकबा 2.61है0 पर अप्रार्थिगण के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर इस न्यायालय के मुकदमा सं 44/2013 बउनवान मृतक बलीगुद्दीन के का0मु0 साहिबा बेगम वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0 में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.07.2021 से निर्णत पारित कर जैली काश्तकार का नाम विलोपित कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया है। अप्रार्थी सं 1 ता 3 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 183 बी रा0का0अ0 का प्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार इन्द्रगढ के यहां पेश किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा ग्राम गुढा के

उपखण्ड अधिकारी
नांदेरी (बूंदी)

415
P.T.O

गत खसरा संख्या 21/201 के 7 बीघा आवंटन दिनांक 18.06.1981 के पट्टे की प्रतिलिपी पेश की है यहां अप्रार्थिगण का कथन ध्यान देने योग्य है कि उक्त वाद विषयक भूमि सिलिंग की है तो आवंटी प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी अथवा खातेदारी तत्काल दर्ज की जाती, आवंटन का कोई नोट भी जमाबंदी में दर्ज नहीं है। उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना में अंकित तथ्यों को मूल वाद में उभयपक्षों के साक्ष्य व शहादत के आधार पर परीक्षण के उपरान्त ही तय किया जा सकता है वर्तमान में पत्रावली में प्रार्थी ऐसा कोई साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करने नाकामयाब रहे जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति हो। अप्रार्थिगण वर्तमान जमाबंदी अनुसार वाद विषयक आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉडेड खातेदार शब्द के साथ कब्जे की मूल भावना जुड़ी हुई है। प्राथमिक दृष्ट्या प्रार्थी का उक्त जमीन पर वैध कब्जा होना जाहिर नहीं होता है उक्त वाक्यान को नजर में रखते हुए हम अप्रार्थिगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझते है।

अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)